मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टर्स लिमिटेड।

वी.

मेसर्स एस. एम. एस. एशिया प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 270)

22 फरवरी, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और

हिमा कोहली, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: s.482-चेक का अनादर-उत्तरदाता ने इसके पक्ष में कुछ चेक जारी किए अपीलार्थी कंपनी जिसका प्रस्तुतिकरण पर अपमान किया गया था

बैंक-मांग सूचनाओं का पालन करने में प्रतिवादी की विफलता पर, अपीलार्थी ने मजिस्ट्रेट यू/एस के समक्ष शिकायत दर्ज की। 138 और एन. आई. अधिनियम की धारा 142-प्रत्यर्थी ने यू / s.482 शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष, जिसे अनुमति दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः एन. आई. अधिनियम के s.142 (1) (ए) में कहा गया है कि शिकायत लिखित में होनी चाहिए और इसे प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा नियत समय पर दायर किया जाना चाहिए। - तत्काल मामले में, आवश्यकताओं को पूरा किया गया था, सबसे पहले, शिकायत

महाप्रबंधक (लेखा) के माध्यम से कंपनी के नाम से आवेदन किया गया था-दूसरा, अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक ने विधिवत रूप से महाप्रबंधक (लेखा) को कार्यवाही शुरू करने और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था-प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां सौंपी गई थीं।

अतः शिकायत यू / s.138 एन. आई. अधिनियम प्राप्तकर्ता कंपनी की ओर से उचित प्राधिकरण के साथ दायर किया गया था-सामान्य के संबंध में

लेन-देन के बारे में प्रबंधक की जानकारी या लेन-देन के गवाह, पक्षों के बीच लेन-देन उस समझौते पर आधारित थे जिसमें अपीलार्थी की ओर से गवाह कोई और नहीं बल्कि महाप्रबंधक थे-इसके अलावा, खाते के सुलह के लिए दस्तावेज़ को पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापित किया गया था और अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व महाप्रबंधक द्वारा किया गया था-इसके अलावा, जब चेक का अनादर किया गया था, तो यह महाप्रबंधक था जिसने अपीलार्थी की ओर से नोटिस जारी किए थे-इसलिए, मौखिक शपथ वाले बयानों के बदले में दायर किए गए उक्त दस्तावेज और हलफनामा

मजिस्ट्रेट के समक्ष संकेत दिया गया कि अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसे लेन-देन के बारे में जानकारी है -

268 मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टर्स लिमिटेड। वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर.

एस की आवश्यकता। 142 संतुष्ट था-उच्च न्यायालय यू/याचिका पर विचार करने में उचित नहीं था s.482-परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881। 142 . परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881: s.142-जब कोई कंपनी उस चेक की प्राप्तकर्ता होती है जिसके आधार पर एस के तहत शिकायत दर्ज की जाती है। 138 एन. आई. अधिनियम के अनुसार, शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से वह कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व एक अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाएगा-मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि दायर की गई शिकायत "प्राप्तकर्ता" के नाम पर है और यदि शिकायत का मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता से अलग है, तो

इसके लिए प्राधिकरण और यह कि शिकायत की सामग्री उसकी जानकारी में है-यदि शिकायत पर मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को अधिकृत नहीं किए जाने के संबंध में कोई गंभीर विवाद है या यदि यह प्रदर्शित किया जाना है कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को लेन-देन की कोई जानकारी नहीं है और इस तरह कि वह व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं कर सकता था और मुकदमा नहीं चला सकता था, तो यह खुला रहेगा।

अभियुक्त के लिए स्थिति पर विवाद करना और मुकदमे के दौरान इसे स्थापित करना-ऐसी परिस्थितियों में एस के तहत एक याचिका पर विचार करना। 482 मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करना अनुचित होगा जब उचित प्राधिकरण और ज्ञान का मुद्दा केवल मुकदमे के लिए एक मुद्दा हो सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रबंध निदेशक को अपीलकर्ता कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी होने के अलावा, निदेशक मंडल द्वारा दिनांकित 06.04.1998 दस्तावेज़ के माध्यम से भी शक्ति सौंपी गई है। उक्त दस्तावेज के माध्यम से प्रबंध निदेशक को, सामान्य रूप से, कंपनी के प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां सौंप दी गई हैं और अन्य के बीच, कंपनी की भूमि और संपत्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। उक्त दस्तावेज़ के माध्यम से, प्रबंध निदेशक भी है

जहाँ आवश्यक हो और जहाँ तक हो प्रत्यायोजित करने का अधिकार

आवश्यक, उसे सौंपी गई शक्तियों में से कोई भी, उसके अधीनस्थ को

अधिकारी। उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों से पता चलता है कि

धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की गई थी " देय प्राधिकरण के साथ कंपनी। [पैरा 11] [280-बी-ई] [2022] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुभासिस कुमार दास जो उस समय थे, के रूप में नामित महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)। इसके अलावा, 01.04.2011 से 30.09.2014 तक की अवधि के खाते के सुलह के लिए दस्तावेज़, जैसा कि 28.10.2014 पर किया गया है, दर्शाता है कि दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा इसे सत्यापित किया गया था। अपीलकर्ता कंपनी का प्रतिनिधित्व महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है।

(लेखांकन)। इसके अलावा, जब चेक का अनादर किया गया था, तो यह महाप्रबंधक (लेखा) थे जिन्होंने अपीलकर्ता कंपनी की ओर से प्रतिवादी कंपनी को नोटिस जारी किए थे। उक्त दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि जिस व्यक्ति को लेन-देन की जानकारी थी और वह इसका गवाह था, उसे अधिकृत किया गया है और उसने लेन-देन की ओर से शिकायत दर्ज कराई है।

कंपनी। [पैरा 12] [280-ई-एच; 281-ए]

3. एस. डी. जे. एम. के समक्ष दायर हलफनामे का सार्थक अध्ययन

यह इंगित करेगा कि जिस कंपनी ने महाप्रबंधक (लेखा) और महाप्रबंधक (लेखा) को व्यक्तिगत ज्ञान रखने के लिए अधिकृत किया था, वह वास्तव में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया था। जिसे एक स्पष्ट कथन के रूप में माना जा सकता है, उसे एक संकीर्ण स्थिति में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, जिस परिस्थिति और तरीके से इसे व्यक्त और व्यक्त किया गया है, उससे इसे इकट्ठा करना होगा। जिस तरीके से शिकायत का मसौदा तैयार किया जाता है वह मामले-दर-मामले अलग-अलग हो सकता है और यह उसी का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के कौशल पर भी निर्भर करेगा जो अपने आप में एक मूल अधिकार को पराजित नहीं कर सकता है। हालाँकि, जिस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या अभिवचन में उपलब्ध सामग्री इस आशय को व्यक्त करेगी कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, उसे अधिकृत कहा जाता है और उसे इसकी जानकारी होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा, सहायक दस्तावेज मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड।

वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर.

जो स्वयं अभिलेख पर उपलब्ध थे, इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं कि एक अधिकृत व्यक्ति, लेन-देन का गवाह होने के नाते और मामले की जानकारी रखने वाले ने "प्राप्तकर्ता" कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज की थी और इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 142 की आवश्यकता को पूरा किया गया। [पैरा 14] [282 ए-डी]

4. जब कोई कंपनी उस चेक की प्राप्तकर्ता होती है जिसके आधार पर एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, तो

शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से वह कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व एक कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जो अधिकृत है। प्रथम दृष्टया,

ऐसी स्थिति में शिकायत और शपथ पत्र (या तो मौखिक रूप से या शपथ पत्र द्वारा) में इस आशय का संकेत कि शिकायतकर्ता (कंपनी) का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे जानकारी है, पर्याप्त होगा। की शक्ति के ज्ञान के रूप में शब्दों के विशिष्ट दावे का उपयोग

वकील धारक "और ज्ञान के बारे में इस तरह के दावे को" स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए "जैसा कि ए. सी. नारायणन में कहा गया है

इसका अर्थ यह समझा जाता है कि अभिकथन किसी विशेष तरीके से होना चाहिए, बहुत कम केवल मामले में अभियुक्त द्वारा समझे गए तरीके से। मजिस्ट्रेट के समक्ष केवल यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि दायर की गई शिकायत "प्राप्तकर्ता" के नाम पर है और यदि शिकायत का मुकदमा चलाने वाला व्यक्ति प्राप्तकर्ता से अलग है, तो इसके लिए प्राधिकरण और शिकायत की सामग्री उसकी जानकारी में है। जब शिकायतकर्ता/प्राप्तकर्ता एक कंपनी हो, तो एक अधिकृत कर्मचारी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस तरह के कथन और प्रथम दृष्टया सामग्री के लिए पर्याप्त है

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा और प्रक्रिया जारी करेगा। यदि मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति के संबंध में कोई गंभीर विवाद है

शिकायत अधिकृत नहीं है या यदि यह प्रदर्शित किया जाना है कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को लेन-देन की कोई जानकारी नहीं है और इस तरह कि वह व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं कर सकता था और मुकदमा नहीं चला सकता था, तो आरोपी के लिए स्थिति पर विवाद करना और मुकदमे के दौरान इसे स्थापित करना खुला होगा। ऐसी परिस्थितियों में एक याचिका पर विचार करना मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने वाले आदेश को रद्द करने के लिए धारा 482 अनुचित होगी जब उचित प्राधिकरण और ज्ञान का मुद्दा केवल मुकदमे के लिए एक मुद्दा हो सकता है। [पैरा 17] [286-ए-बी] [2022] 2 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. सी. नारायणन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्र. (2014)

11 एससीसी 790: [2013] 11 एस. सी. आर. 80; राष्ट्रीय लघु

उद्योग निगम लिमिटेड बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और

ओआरएस। (2009) 1 एससीसी 407: [2008] 16 एससीआर 83; सम्राट

शिपिंग कं. प्रा. लिमिटेड वी. डॉली जॉर्ज (2002) 9 एससीसी

455 ; विनीता एस. राव बनाम एसेन कॉरपोरेट सर्विसेज (पी) लिमिटेड

(2015) 1 एस. सी. सी. 527-पर निर्भर।

एम/एस। M.M.T.C. Ltd. v. मेडची केमिकल्स एंड फार्मा

(पी) लिमिटेड (2002) 1 एस. सी. सी. 234: [2001] 5 पूरक। एससीआर 265;

विश्व मित्तर बनाम। ओ. पी. पोद्दार (1983) 4 एससीसी 701: [1984]

1 एस. सी. आर. 176; जानकी वाशदेव भोजवानी और अन्र। वी.

इंडसइंड बैंक लिमिटेड और अन्य। (2005) 2 एससीसी 217: [2004]

6 पूरक। एस. सी. आर. 681 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 11 एससीआर 80

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[2001] 5 पूरक। एससीआर 265

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1984] 1 एससीआर 176

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[2004] 6 पूरक। एससीआर 681

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

(2015) 1 एस. सी. सी. 527

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

[2008] 16 एससीआर 83

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

आपराधिक अपील

270 2022 तक।

उच्च निगम के 14.12.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के सी. आर. एल. एम. सी. No.1210 में कटक में उड़ीसा का।

अशोक के. परिजा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौरव खन्ना, अर्णव बेहरा,

साध्वी स्वरूप, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी 14.12.2017 पी. ए. एस. दिनांकित निर्णय पर हमला कर रहा है।

20 के सी. आर. एल. एम. सी. सं. 1210 में कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने पेटी मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टर्स लिमिटेड का निपटारा करते हुए।

वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

स्वीकृति, प्रत्यर्थी मांग का पालन करने या उसी का जवाब देने में विफल रहा। उस दृष्टिकोण से, अपीलार्थी ने विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, (संक्षेप में 'एस. डी. जे. एम.') के समक्ष शिकायत दायर की। पनपोष, उदितनगर राउरकेला परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (संक्षेप में 'एन. आई. अधिनियम') की धारा 138 और 142 के तहत। मौखिक शपथ बयान के बदले में शिकायतकर्ता की ओर से दायर हलफनामे के आधार पर उक्त शिकायत दर्ज की गई थी। विद्वत एस. डी. जे. एम. ने यह संतुष्ट होने पर कि पर्याप्त सामग्री है और अभियुक्त के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत कानून के अनुसार है, शिकायत का संज्ञान लिया और प्रतिवादी-अभियुक्त को समन भेजने का निर्देश दिया।

4. हालाँकि यहाँ प्रत्यर्थी ने 2017 के सी. आर. एल. एम. सी. <आई. डी. 2 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'Cr.P.C) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें दिनांकित 05.11.2015 के आदेश से व्यथित होने का दावा किया गया। प्रतिवादी ने उक्त याचिका में तर्क दिया था कि दायर की गई शिकायत एक अक्षम व्यक्ति द्वारा की गई थी।

शिकायत में अपेक्षित कथन, जिसके बावजूद विद्वान एस. डी. जे. एम. ने संज्ञान लिया था और समन जारी किया था। इस संबंध में, यह तर्क दिया गया कि श्री सुभासिस कुमार दास, महाप्रबंधक (लेखा) जिन्होंने शिकायतकर्ता कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए शिकायत दर्ज की थी,

न तो उन्हें कथित लेन-देन के बारे में जानकारी थी और न ही उन्होंने इसे देखा था। इस संदर्भ में, प्रतिवादी ने तर्क दिया था कि संज्ञान लेने वाले आदेश और उन्हें जारी किए गए समन को रद्द किया जा सकता है। उच्च न्यायालय, उक्त तर्क को स्वीकार करते हुए और इस पर भरोसा रखते हुए

ए. सी. नारायणन बनाम महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. में इस न्यायालय का निर्णय। (2014) 11 एस. सी. सी. 790 ने माना है कि [2022] 2 एस. सी. आर. में कोई उल्लेख नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायत या शपथ पत्र कि कंपनी ने अपने महाप्रबंधक (लेखा) को कब और किस तरीके से कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था शिकायत दर्ज करने के लिए। आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि शिकायत में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि क्या महाप्रबंधक (लेखा) ने ऐसा किया था।

लेन-देन के बारे में जानकारी या वह लेन-देन का गवाह था। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न तो शिकायतकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल का कोई प्रस्ताव और न ही शिकायत में उसका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के पक्ष में कंपनी का कोई प्राधिकरण मजिस्ट्रेट के अवलोकन के लिए दायर किया गया था। केवल शिकायतकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा महाप्रबंधक के पक्ष में जारी एक प्राधिकरण पत्र

(लेखांकन) प्रस्तुत किया गया था और उक्त प्राधिकरण इंगित नहीं करता है क्या निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज करने के लिए महाप्रबंधक (लेखा) को अपनी शक्तियां सौंपने के लिए अधिकृत किया था।

5. श्री अशोक के. परिजा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर जोर देते हुए अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील,

यह तर्क दिया जाएगा कि उच्च न्यायालय ने ए. सी. नारायणन (ऊपर) में प्रतिपादित सिद्धांत का पूरी तरह से गलत अर्थ निकालकर अपीलार्थी को गैर-सूट कर दिया है। यह है।

तर्क दिया कि उक्त निर्णय में, मामले का संचालन करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित वकील की शक्ति के आधार पर दायर शिकायत की प्रकृति पर विचार करते हुए, उसमें आवश्यकता बताई गई है। उस संदर्भ में भी उच्च न्यायालय ने ठीक से नहीं किया है

शिकायत और पूरे रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, यह संतुष्ट किया गया कि समन जारी करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। उस पृष्ठभूमि में दस्तावेजों और दस्तावेजों की सूची का उल्लेख किया जाता है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित 18.07.2014 समझौते से पता चलेगा कि श्री सुभासिस कुमार दास, महाप्रबंधक (लेखा) जिसने शिकायत में कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था, वह उक्त समझौते का गवाह था। उन्होंने सुलह बयान पर भी हस्ताक्षर किए थे और

जब चेक दिए गए तो उत्तरदाता को नोटिस भेजा। अपमानित किया। उस दृष्टिकोण में, कंपनी का प्रतिनिधित्व एक सक्षम द्वारा किया गया था

वह व्यक्ति जिसे लेन-देन की जानकारी थी। शिकायत के साथ संलग्न सत्यापन हलफनामे में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि उन्हें जानकारी थी और शिकायत संबंधित दस्तावेजों पर आधारित थी। इसके अलावा, उक्त श्री सुभासिस कुमार दास, महाप्रबंधक (लेखा) ने एम/एस टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड के हलफनामे में कहा है।

वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

उनके शपथ पत्र के रूप में दायर किए गए बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वह शिकायतकर्ता कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि हैं और उन्होंने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। विद्वान वरिष्ठ वकील यह भी इंगित करेंगे कि इस तथ्य के अलावा कि वे अपीलकर्ता कंपनी के एक वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी थे, श्री सुभासिस कुमार दास को भी कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया था। कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए 23.05.2015 पर प्रबंध निदेशक। दूसरी ओर, प्रबंध निदेशक को निदेशक मंडल की मंजूरी के आधार पर अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किया गया था। उस दृष्टिकोण में, यह तर्क दिया जाता है कि शिकायत कानून और विद्वान के अनुसार दायर की गई थी

मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग लगाने के बाद, संज्ञान लिया था जिसे उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अपना दिमाग लगाए बिना रद्द कर दिया था।

6. श्री संतोष कुमार, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील

हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि उच्च न्यायालय ने ए. सी. में निर्णय को नोट किया है।

नारायणन (ऊपर) और उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि दायर की गई शिकायत एन. आई. अधिनियम की धारा 142 की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है क्योंकि शिकायत उस व्यक्ति द्वारा दायर नहीं की गई थी जिसे कंपनी द्वारा अधिकृत किया गया था। यह आगे तर्क दिया जाता है कि ए. सी. नारायणन (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रभाव का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए कि शिकायत दर्ज करने वाला व्यक्ति शिकायतकर्ता द्वारा अधिकृत है और उसे विचाराधीन लेन-देन की जानकारी है ताकि शिकायत को बनाए रखा जा सके। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया है, इसलिए इस तरह के निर्णय से इस अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

7. घटनाओं के क्रम और प्रतिद्वंद्वी विवादों को नोट करना

पक्षकारों के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत, यहाँ विचार के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलार्थी द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर की गई शिकायत निम्नलिखित के अनुसार है - एन. आई. अधिनियम की धारा 142 के तहत आवश्यकता। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः -

" 142. अपराधों का संज्ञान। - [(1)] किसी भी बात के बावजूद दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित -

(अ)

कोई भी अदालत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

शिकायत को छोड़कर धारा 138 के तहत दंडनीय,

लिखित रूप में, प्राप्तकर्ता द्वारा या, जैसा भी मामला हो,

चेक के नियत समय में धारक;

(ख)

XXXX

XX

((ग)

8. उस पृष्ठभूमि में, शिकायत (अनुलग्नक पी 14) के अवलोकन से पता चलेगा कि उसमें नामित शिकायतकर्ता मेसर्स है। टीआरएल

अपने महाप्रबंधक (लेखा) के माध्यम से क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड

सुभाशीष कुमार दास। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उक्त शिकायत की विषय वस्तु, चेक (अनुलग्नक पी-3 से पी-9) के अवलोकन से पता चलेगा कि उक्त चेक में नामित "प्राप्तकर्ता" मेसर्स है। टीआरएल क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। यदि यह स्थिति है, तो

कि श्री सुभासिस कुमार दास, महाप्रबंधक (लेखा) द्वारा कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत प्राधिकरण के अभाव के लिए सक्षम नहीं है और लेन-देन के बारे में उनकी जानकारी के संबंध में कोई दावा नहीं है। इस पहलू पर, मजबूत निर्भरता द्वारा रखा गया है ए. सी. नारायणन (ऊपर) पर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील। इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भी पूरी तरह से उक्त निर्णय में निर्धारित दिशानिर्देशों पर आधारित है।

ए. सी. नारायणन (ऊपर) में। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि यह न्यायालय मेसर्स के मामले में एन. आई. अधिनियम की धारा 142 (1) (ए) के दायरे पर विचार करते हुए। M.M.T.C. लिमिटेड बनाम. मेडची केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड,

(2002) 1 एस. सी. सी. 234 ने विश्व मित्तर बनाम मामले में इस न्यायालय के पहले के फैसले पर ध्यान दिया था। ओ. पी. पोद्दार, (1983) 4 एस. सी. सी. 701 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर करके आपराधिक कानून को लागू कर सकता है। संज्ञान। विश्व मित्तर (उपर्युक्त) में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई विशेष कानून अपराधों को विहित करता है और कानून के तहत ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने के लिए कोई विशेष प्रावधान करता है, तो मजिस्ट्रेट से अपराध का संज्ञान लेने का अनुरोध करने वाली शिकायत को ऐसे कानून द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। उस परिस्थिति में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एन. आई. अधिनियम की धारा 142 द्वारा निर्धारित एकमात्र पात्रता मानदंड यह है कि शिकायतकर्ता को नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा होना चाहिए। हालाँकि, जानकी वाशदेव भोजवानी और अन्न में एक बाद के निर्णय में। बनाम इंडसइंड बैंक लिमिटेड और अन्य। (2005) 2 एस. सी. सी. 217, दीवानी कार्यवाही में प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के अधिकार पर विचार करते हुए, सी. पी. सी. के आदेश III नियम 1 और 2 में निहित प्रावधान को ध्यान में रखा गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने मैसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड की शक्ति के अनुसरण में कुछ कार्य किए हैं।

वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

अधिवक्ता, वह ऐसे कृत्यों के संबंध में प्रधानाचार्य के लिए गवाही दे सकता है, लेकिन वह

प्रिंसिपल द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रिंसिपल के लिए गवाही नहीं दे सकता है न कि उसके द्वारा। इसी तरह, वह उस मामले के संबंध में प्रिंसिपल के लिए गवाही नहीं दे सकता है, जिसके संबंध में केवल प्रिंसिपल ही जिरह का हकदार है। डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए उक्त दो निर्णयों को ए. सी. नारायणन (उपरोक्त) पर विचार करते समय एक अन्य डिवीजन बेंच द्वारा एक दूसरे के साथ टकराव में माना गया था और इसलिए यह स्पष्टीकरण चाहता था।

10. इस दृष्टिकोण से, ए. सी. नारायणन (उपरोक्त) का मामला तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था। उक्त पीठ के बाद

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि इस न्यायालय के उक्त दो निर्णय एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं, एन. आई. अधिनियम की धारा 142 (1) (ए) के दायरे और आवश्यकता पर विचार किया है और निर्णय के पैरा 21 में निहित विचार के लिए प्रश्नों को तैयार किया है जो यहाँ नीचे पढ़ा गया हैः -

" 21. संदर्भ आदेश के संदर्भ में, इस पीठ द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय लिया जाना हैः 21.1 . क्या एक पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक शिकायतकर्ता की ओर से हस्ताक्षर कर सकता है और शिकायत याचिका दायर कर सकता है? / चाहे वह

एन. आई. अधिनियम की धारा 142 (ए) द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड संतुष्ट होंगे यदि शिकायत याचिका स्वयं निम्नलिखित के नाम पर दायर की जाती है -

चेक के नियत समय में प्राप्तकर्ता या धारक?

21.2 . क्या किसी पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक को शपथ पर सत्यापित किया जा सकता है

संहिता की धारा 200 के तहत? 21.3 . क्या विवादित लेन-देन में पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक के ज्ञान के बारे में विशिष्ट कथन होना चाहिए

शिकायत में स्पष्ट रूप से कहा गया है?

21.4 . यदि पावर-ऑफ-अटार्नी धारक शिकायत में स्पष्ट रूप से अपनी जानकारी का दावा करने में विफल रहता है तो क्या पावर-ऑफ-अटार्नी धारक जानकारी के इस तरह के अनुमान पर शपथ पर शिकायत का सत्यापन कर सकता है?

21.5 . क्या संहिता की धारा 200 के तहत विचार की गई कार्यवाही को एन. आई. अधिनियम की धारा 145 के आलोक में समाप्त किया जा सकता है जिसे वर्ष में एक संशोधन द्वारा पेश किया गया था।

2002 ? "

पैरा 29 से 30 में किया गया विचार ध्यान देने योग्य होगा, जिसे नीचे पढ़ा जा सकता हैः -

" 29. एन. आई. अधिनियम की धारा 138,142 और 145 के साथ-साथ संहिता की धारा 200 के संयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट के लिए प्रक्रिया जारी करने का अधिकार है।

शिकायत की सामग्री, उसके समर्थन में दस्तावेज [2022] 2 एस. सी. आर.

और शिकायतकर्ता द्वारा समर्थन में प्रस्तुत हलफनामा शिकायत की। एक बार जब शिकायतकर्ता संहिता की धारा 200 के तहत प्रक्रिया जारी करने से पहले शिकायत के समर्थन में एक हलफनामा दायर करता है, तो यह मजिस्ट्रेट के लिए खुला है, यदि

शिकायतकर्ता को उपस्थित रहने के लिए बुलाना और शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत हलफनामे में निहित तथ्यों के बारे में उससे पूछताछ करना वह उचित समझता है। हालाँकि, यह विवेकाधिकार का मामला है और मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने और एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत पर प्रक्रिया जारी करने या नहीं करने का निर्णय लेने के लिए शपथ लेने पर उससे पूछताछ करने के लिए कहने के लिए बाध्य नहीं है। संहिता की धारा 200 के तहत प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्य से, मजिस्ट्रेट के लिए शपथ पत्र के रूप में सत्यापन पर भरोसा करना खुला है

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में दायर किया गया। यह केवल तभी है जब मजिस्ट्रेट, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत पर विचार करने के बाद, उसके समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और

शिकायतकर्ता के शपथ पत्र के रूप में सत्यापन का विचार है कि शिकायतकर्ता या उसकी जाँच

गवाहों की आवश्यकता होती है, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के लिए कह सकता है और शिकायत पर प्रक्रिया जारी करने या नहीं करने का निर्णय लेने के लिए शिकायतकर्ता और/या उसके गवाह से पूछताछ कर सकता है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत।

30. चर्चा के आलोक में, हमारा विचार है कि

अधिवक्ता के अधिकार धारक को अपराध के लिए प्रक्रिया जारी करने के उद्देश्य से फाइल करने, उपस्थित होने और गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय। उपरोक्त का एक अपवाद यह है कि जब शिकायतकर्ता के पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक को लेन-देन के बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती है तो उससे पूछताछ नहीं की जा सकती है। हालांकि, जहां शिकायतकर्ता का वकील धारक व्यवसाय का प्रभारी है

केवल शिकायतकर्ता प्राप्तकर्ता और वकील धारक

लेन-देन के बारे में व्यक्तिगत रूप से जागरूक होने के कारण, कोई कारण नहीं है कि वकील धारक गवाह के रूप में गवाही नहीं दे सकता है। फिर भी, लेनदेन के बारे में पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक के ज्ञान के बारे में एक स्पष्ट दावा

शिकायत में प्रश्न निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। इस हिसाब से चौथा सवाल निष्फल हो जाता है। मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टर्स लिमिटेड।

वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

विचार के लिए उठाए गए प्रश्न का उत्तर निहित है।

ए 33 जो यहाँ नीचे पढ़ा गया हैः -

33. यह मानते हुए कि दोनों के बीच कोई गंभीर संघर्ष नहीं है M.M.T.C और वाशदेव भोजवानी में निर्णय, हम स्पष्ट करते हैं

प्रश्नों की स्थिति और उत्तर निम्नलिखित तरीके से देंः

33.1 . धारा 138 के तहत शिकायत याचिका दायर करना

सक्षम। 33.2 . पावर-ऑफ-अटॉर्नी धारक गवाही और सत्यापन कर सकता है।

की सामग्री को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष शपथ पर

लेन-देन को प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में देखा है / नियत समय में धारक या इसके बारे में उचित ज्ञान रखते हैं

उक्त लेन-देन।

शिकायत में स्पष्ट रूप से उक्त लेन-देन में धारक और पावर ऑफ अटॉर्नी धारक जिसे कोई जानकारी नहीं है

लेन-देन के संबंध में गवाह के रूप में जाँच नहीं की जा सकती है।

मामले में।

33.4 . एन. आई. अधिनियम की धारा 145 के आलोक में, यह खुला है

मजिस्ट्रेट शपथपत्र के रूप में सत्यापन पर भरोसा करेंगे धारा के तहत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में दायर किया गया

138 एन. आई. अधिनियम और मजिस्ट्रेट न तो अनिवार्य रूप से बाध्य हैं

शिकायतकर्ता को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए बुलाना,

न ही अपने गवाह के शिकायतकर्ता से शपथ लेने के लिए पूछताछ करना

शिकायत पर प्रक्रिया जारी करने या नहीं करने का निर्णय

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत।

33.5 . जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत कार्य नहीं हो सकते हैं।

अनुमति देने वाले विशिष्ट खंड के बिना किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित किया जाए

पावर ऑफ अटॉर्नी में भी ऐसा ही है। फिर भी, सामान्य शक्ति

स्वयं वकील को रद्द किया जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

11. तत्काल मामले के तथ्यों का एक संचयी अवलोकन होगा

खा लिया कि ए. सी. नारायणन में दर्शाई गई आवश्यकता, (ऊपर)

तथ्य संतुष्ट। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, शिकायत दर्ज की गई थी

श्री सुभासिस कुमार के माध्यम से कंपनी का ए. एम. ई. अर्थात "प्राप्तकर्ता"

महाप्रबंधक (लेखा)। प्राधिकरण दिनांक 23.05.2015 [2022] 2 एस. सी. आर.

एन. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही और कंपनी की ओर से दीवानी कार्यवाही सहित आपराधिक कार्यवाही शुरू करना। एम/एस। एस. एम. एस. एशिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रतिवादी), कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए

निदेशक मंडल द्वारा दिनांकित 06.04.1998 (अनुलग्नक पी-16) दस्तावेज़ के माध्यम से भी शक्ति सौंपी गई है। उक्त दस्तावेज के माध्यम से प्रबंध निदेशक को, सामान्य रूप से, कंपनी के प्रबंधन और संचालन के लिए आवश्यक सभी शक्तियां सौंप दी गई हैं और अन्य के बीच, कंपनी की भूमि और संपत्ति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। उक्त दस्तावेज़ के माध्यम से, प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित करने का भी अधिकार है जहाँ आवश्यक हो और जहाँ तक आवश्यक हो, वहाँ कोई भी शक्ति उसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप दी गई। उपरोक्त उल्लिखित दस्तावेजों से पता चलेगा कि धारा 138 एन. आई. अधिनियम के तहत शिकायत "प्राप्तकर्ता" कंपनी की ओर से उचित प्राधिकरण के साथ दायर की गई थी।

12. अगला पहलू जिस पर उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, वह है

लेन-देन या वह लेन-देन का गवाह था। उक्त पहलू पर यह ध्यान दिया जाता है कि पक्षों के बीच लेन-देन इस पर आधारित है - दिनांकित समझौता 18.07.2014 (अनुलग्नक पी-1)। उक्त दस्तावेज़ दर्शाता है, अपीलार्थी और प्रतिवादी कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर के नीचे, दोनों पक्षों के एक-एक गवाह ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। अपीलार्थी कंपनी की ओर से गवाह कोई नहीं है।

श्री सुभासिस कुमार दास के अलावा, जो उस समय महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) के रूप में नामित थे। इसके अलावा, 01.04.2011 से 30.09.2014 तक की अवधि में खाते के मिलान के लिए दस्तावेज़, जैसा कि 28.10.2014 पर किया गया है, दर्शाता है कि दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा इसे सत्यापित किया गया था। अपीलकर्ता कंपनी का प्रतिनिधित्व श्री सुभासिस कुमार दास द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, जब

चेकों का अपमान किया गया था, यह श्री सुभासिस कुमार दास, महाप्रबंधक (लेखा) थे जिन्होंने अपीलकर्ता कंपनी की ओर से प्रतिवादी कंपनी को नोटिस (अनुलग्नक पी-11,12 13) जारी किए थे।

उक्त दस्तावेज़ इंगित करेंगे कि वह व्यक्ति जिसे इसका ज्ञान था

लेन-देन और इसके गवाह थे, उन्हें अधिकृत किया गया है और कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज की गई है।

13. शिकायत में बताए गए तथ्यात्मक पहलुओं के अलावा,

लेन-देन के संबंध में, शिकायत के साथ-साथ शिकायत का समर्थन करने वाले हलफनामे में श्री सुभासिस कुमार दास के पक्ष में प्राधिकरण और जानकारी के बारे में कथन हैं, जो नीचे पढ़ा गया है: -

" कि, कंपनियों के तहत निगमित शिकायतकर्ता कंपनी

अधिनियम 1956 और पंजीकृत कार्यालय/पी. ओ./पी. एस.-बेलपहाड़, जिला।

झारसुगुडा, (ओडिशा) अपने महाप्रबंधक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है

(लेखांकन), श्री सुभासिस कुमार दास, जिनकी आयु लगभग 47 वर्ष है, एस/ओ श्री गोपाल चंद्र दास और कंपनी द्वारा अधिकृत भी

इस शिकायत को दर्ज करने के लिए "।

सत्यापन करने वाला हलफनामा नीचे दिया गया है: " आई, श्री। सुभासिस कुमार दास, आयु लगभग 47 वर्ष, एस/ओ। गोपाल

मेसर्स के महाप्रबंधक (लेखा) चंद्र दास। टीआरएल

क्रोसाकी रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड, एट/पीओ/पीएस-बेलपहाड़, जिला।

झारसुगुडा (ओडिशा), इसके द्वारा गंभीरता से पुष्टि करें और कहें कि

निम्नलिखित है:

कि, मैं महाप्रबंधक (लेखा) हूँ।

1 .

पीओ/पीएस-बेलपहाड़, जि. - झारसुगुडा (ओडिशा) और इस शिकायत याचिका को दायर करने के लिए सक्षम।

2 .

कि, इस शिकायत में ऊपर बताए गए तथ्य

मेरे ज्ञान, विश्वास और आधार पर प्रासंगिक दस्तावेज "।

इसके अलावा, मौखिक शपथ पत्र के बदले में दायर किया गया शपथ पत्र

ज्ञान प्राप्त एस. डी. जे. एम. से पहले संज्ञान लेने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित कथन शामिल हैंः -

" कि मैं शिकायतकर्ता का अधिकृत प्रतिनिधि हूँ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित कंपनी और

पंजीकृत कार्यालय/पीओ/पीएस-बेलपहाड़, जिला। झारसुगुडा (ओडिशा) अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ यह शिकायत याचिका दायर की है।

(जोर दिया गया)

14. उपरोक्त का एक सार्थक अध्ययन इंगित करेगा कि कंपनी ने महाप्रबंधक (लेखा) को अधिकृत किया है और व्यक्तिगत ज्ञान रखने वाले महाप्रबंधक (लेखांकन) को वास्तव में स्पष्ट रूप से माना गया था। जिसे एक स्पष्ट कथन माना जा सकता है,

इसे जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन इसे उस परिस्थिति और तरीके से इकट्ठा करना होगा जिसमें इसे टाला गया है और

प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर व्यक्त किया गया। जिस तरीके से शिकायत का मसौदा तैयार किया जाता है, वह मामले-दर-मामले अलग-अलग हो सकता है और यह उसी का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के कौशल पर भी निर्भर करेगा जो अपने आप में एक मूल अधिकार को पराजित नहीं कर सकता है। हालाँकि, जिस बात पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या अभिवचन में उपलब्ध सामग्री इस आशय को व्यक्त करेगी कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की है, उसे अधिकृत कहा जाता है और उसे इसकी जानकारी होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा, सहायक दस्तावेज जो स्वयं रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे, इस तथ्य को प्रदर्शित करते हैं कि एक अधिकृत व्यक्ति, लेन-देन का गवाह होने के नाते और मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने "प्राप्तकर्ता" कंपनी की ओर से शिकायत दर्ज की थी और इसलिए, एन. आई. अधिनियम की धारा 142 की आवश्यकता को पूरा किया गया था। विनीता एस. राव बनाम एसेन कॉरपोरेट सर्विसेज (पी) लिमिटेड (2015) 1 एस. सी. सी. 527, जिसमें हममें से एक (माननीय सी. जे. आई.) पीठ के सदस्य थे, ने इस तरह की प्रकृति के अभिवचन को स्वीकार किया है ताकि शिकायत पर मुकदमा चलाने की शक्ति और लेनदेन की जानकारी को इंगित किया जा सके।

शिकायत को बनाए रखने के लिए पर्याप्त।

15. हमारे इस निष्कर्ष के बावजूद कि अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज तथ्यों पर शक्ति के प्रत्यायोजन से संबंधित आवश्यकता को पूरा करेंगे और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति द्वारा लेन-देन के ज्ञान को भी पूरा करेंगे।

तत्काल मामले में, हमारे लिए इस परिप्रेक्ष्य में रखना भी आवश्यक है कि हालांकि ए. सी. नारायणन (उपरोक्त) में मामले ने विचार के केंद्र स्तर को लिया है, लेकिन इसमें शामिल तथ्य शिकायतकर्ता के एक व्यक्ति होने की पृष्ठभूमि में थे और दायर की गई शिकायत "प्राप्तकर्ता" द्वारा जारी किए गए पावर ऑफ अटॉर्नी पर आधारित थी जो एक व्यक्ति भी था। में।

ऐसी घटना, जिस तरीके से शक्ति का प्रयोग किया जा रहा था, उसे स्पष्ट रूप से कहा जाना था ताकि शिकायत का मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति का, प्राप्तकर्ता यानी शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार स्थापित किया जा सके। स्थिति जो तब सामने आएगी जब शिकायतकर्ता एक कंपनी या एक निगमित है अस्तित्व को एक अलग दृष्टिकोण से देखना होगा। इस संबंध में सम्राट शिपिंग कंपनी प्रा. लि. लि. बनाम डॉली जॉर्ज (2002) 9 एस. सी. सी. 455, उस तरीके को अस्वीकार करते हुए जिसमें संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था और शिकायत को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा सीमा पर खारिज कर दिया गया था, इस न्यायालय ने इसके तहत अभिनिर्धारित किया हैः

मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टर्स लिमिटेड। वी. मेसर्स एस. एम. एस. एशिया

प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

" 3. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमें समर्थन करना मुश्किल लगता है

आदेशों को हमारे सामने चुनौती दी गई। कंपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।

केवल मानव एजेंसी के माध्यम से। प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति

कंपनी की ओर से शिकायत में दावा किया गया कि वह कंपनी का अधिकृत प्रतिनिधि। प्रथम दृष्टया,

निचली अदालत को इसे उस समय स्वीकार करना चाहिए था जब

शिकायत दर्ज कराई गई। यदि यह सबूत की बात है जब

अभियुक्त ने उक्त व्यक्ति के अधिकार पर विवाद किया

शिकायत प्रस्तुत करें, अवसर दिया जाना चाहिए था शिकायतकर्ता को वही साबित करने के लिए, लेकिन वह अवसर

मुकदमा शुरू होने पर ही देने की आवश्यकता होती है। बर्खास्तगी

ऐसा प्रतीत होता है कि संकल्प की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है बहुत जल्दबाजी में की गई कार्रवाई। इसलिए हम विवादित आदेशों को दरकिनार कर देते हैं।

और निचली अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने और इसका निपटारा करने का निर्देश दें

कानून के अनुसार। दलों को इसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है

31.1.2000 पर ट्रायल कोर्ट।

(जोर दिया गया)

16. इसके अलावा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड में। बनाम।

(दिल्ली का एन. सी. टी.) और अन्य। (2009) 1 एस. सी. सी. 407, हालांकि यह न्यायालय

उपलब्ध छूट से संबंधित मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना

के तहत दायरे को ध्यान में रखते हुए एक लोक सेवक की जांच करना

Cr.PC के 200 (a) पर, एक की वैधता पर व्यापक रूप से विचार किया है

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषारोपण और

उसकी धारा 142 के तहत पुनर्भुक्ति। उक्त संदर्भ में यह न्यायालय

यहाँ के रूप में:

“ 14. संहिता के तहत "शिकायतकर्ता" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुभाग

142 एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत की आवश्यकता है।

प्राप्तकर्ता द्वारा (या नियत समय में धारक द्वारा) किया जाने वाला अधिनियम। यह. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चेक के अपमान से संबंधित शिकायत में

(जिसका किसी के पक्ष में प्राप्तकर्ता द्वारा समर्थन नहीं किया गया है),

केवल प्राप्तकर्ता ही शिकायतकर्ता हो सकता है। एन. आई. अधिनियम

केवल यह प्रावधान है कि चेक का अनादर एक अपराध होगा और

के अधीन दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने का तरीका

उस अधिनियम की धारा 138। तथापि, संबंधित प्रक्रिया

कार्यवाही शुरू करना, मुकदमा चलाना और ऐसी शिकायतों का निपटान करना, संहिता द्वारा शासित। संहिता की धारा 200 की अपेक्षा है कि -

मजिस्ट्रेट, शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने पर,

शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों की शपथ पर जाँच करें [2022] 2 एस. सी. आर.

और इस तरह की परीक्षा का सार लेखन तक कम हो जाएगा। और शिकायतकर्ता और गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। एन. आई. अधिनियम की धारा 142 की आवश्यकता है कि प्राप्तकर्ता

16. धारा 142 केवल यह अपेक्षा करती है कि शिकायत प्राप्तकर्ता के नाम पर होनी चाहिए। जहाँ शिकायतकर्ता एक कंपनी है, जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करेगी और ऐसी कार्यवाही में कंपनी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, वह नहीं है संहिता द्वारा लेकिन कंपनियों से संबंधित प्रासंगिक कानून द्वारा शासित। संहिता की धारा 200 अनिवार्य रूप से शिकायतकर्ता की जांच की अपेक्षा करती है; और जहां -

शिकायतकर्ता एक अवास्तविक निकाय है, स्पष्ट रूप से केवल एक कर्मचारी या प्रतिनिधि से उसकी ओर से पूछताछ की जा सकती है।

नतीजतन, कंपनी एक न्यायिक शिकायतकर्ता बन जाती है और उसका कर्मचारी या अन्य प्रतिनिधि, जो आपराधिक कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविक बन जाता है।

शिकायतकर्ता। इस प्रकार प्रत्येक शिकायत में, जहाँ

शिकायतकर्ता एक असंवैधानिक निकाय है, एक शिकायतकर्ता है-न्यायिक रूप से, और एक शिकायतकर्ता-वास्तविक रूप से। धारा 200 के परंतुक के खंड (ए) में प्रावधान है कि जहां शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से पूछताछ करना आवश्यक नहीं होगा। जहाँ शिकायतकर्ता एक अवास्तविक निकाय है

इसके कर्मचारियों में से एक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, कर्मचारी जो एक लोक सेवक है वह वास्तविक शिकायतकर्ता है और शिकायत पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने में, वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि ऐसे मामलों में संहिता की धारा 200 के पहले परंतुक के खंड (ए) के तहत छूट उपलब्ध होगी। 19. नतीजतन, जब किसी कंपनी या निगम के पक्ष में जारी किए गए चेक के अपमान के संबंध में शिकायत में, एन. आई. अधिनियम की धारा 142 के उद्देश्य से, कंपनी शिकायतकर्ता होगी, और मेसर्स टी. आर. एल. क्रोसाकी रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड की धारा 200 के उद्देश्यों के लिए।

शिकायत, न्यायिक शिकायतकर्ता, अर्थात्, कंपनी या निगम वही रहेगा लेकिन वास्तविक रूप से

कानूनी रूप से ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला शिकायतकर्ता (कर्मचारी)

शिकायतकर्ता समय-समय पर बदल सकता है। और अगर

वास्तविक शिकायतकर्ता एक लोक सेवक है, छूट का लाभ

संहिता की धारा 200 के प्रावधान के खंड (ए) के तहत होगा

उपलब्ध है, भले ही शिकायत एक के नाम पर की गई हो

कंपनी या निगम "।

(जोर दिया गया)

17. उस दृष्टिकोण से, जो स्थिति सामने आएगी वह यह है कि जब एक

कंपनी उस चेक की प्राप्तकर्ता है जिसके आधार पर एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की जाती है, शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से वह कंपनी होनी चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व एक कर्मचारी द्वारा किया जाएगा जो अधिकृत है। प्रथम दृष्टया, ऐसी स्थिति में शिकायत और शपथ पत्र (या तो मौखिक रूप से या शपथ पत्र द्वारा) में इस आशय का संकेत कि शिकायतकर्ता (कंपनी) का प्रतिनिधित्व एक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे जानकारी है, पर्याप्त होगा। की शक्ति के ज्ञान के रूप में शब्दों के विशिष्ट दावे का उपयोग

प्रक्रिया। यदि शिकायत पर मुकदमा चलाने वाले व्यक्ति को अधिकृत नहीं किए जाने के संबंध में कोई गंभीर विवाद है या यदि यह होना है यह प्रदर्शित किया कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को लेन-देन की कोई जानकारी नहीं है और इस तरह कि वह व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं कर सकता था और मुकदमा नहीं चला सकता था, आरोपी के लिए स्थिति पर विवाद करना और मुकदमे के दौरान इसे स्थापित करना खुला होगा। जैसा कि सम्राट शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में उल्लेख किया गया है। लिमिटेड (ऊपर), [2022] 2 एस. सी. आर. के प्रश्न पर मजिस्ट्रेट द्वारा सीमा पर एक शिकायत को खारिज करना।

विद्रोह, उचित नहीं होगा। इसी तरह, हमारा विचार है कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत याचिका पर विचार करना अनुचित होगा।

उचित प्राधिकरण और ज्ञान का मुद्दा केवल एक हो सकता है

मुक़दमे के लिए।

18. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि उच्च

धारा के तहत दायर याचिका पर विचार करना मेरे लिए उचित नहीं था

fCr.PC और दिनांकित 05.11.2015 आदेश को रद्द करते हुए, संज्ञान लेते हुए

अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत।

तदनुसार, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं; ((i)

सी. आर. एल. में 14.12.2017 दिनांकित निर्णय पारित किया गया। एमसी। नहीं।

1210 2017 का उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक द्वारा निर्धारित किया गया है

एक तरफ।

2015 के आई. सी. सी. मामला संख्या 422 में शिकायत को बहाल कर दिया गया है

((ख)

एस. डी. जे. एम., झारसुगुड़ा की फाइल जिसमें मामले को पहली तारीख के रूप में 15.03.2022 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश है।

पार्टियाँ।

(iii)

मजिस्ट्रेट उन कार्यवाहियों को जारी रखने के लिए जिनमें समन पहले ही जारी किए जा चुके थे, बिना नए सिरे से आने की उम्मीद के समन जारी किया जाए।

(iv) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिकायत वर्ष 2015 की है, इसे आगे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और छह महीने से कम समय में समाप्त किया जाएगा।

ऊपर बताई गई पहली तारीख।

((iv) अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है जिसमें लागत की मात्रा निर्धारित की जाती है -

रु. 1,00,000 / - (द्वारा देय केवल एक लाख रुपये)

अपीलार्थी का प्रत्यर्थी।

19. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपील की अनुमति दी गई।

गुजराल